

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : 0051-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail :  
jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2016/3231

दिनांक : 17-06-2016

## // अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26 मई, 2016 के पद क्रमांक (01) के निर्णयानुसार टी.एस.एस. कॉलेज, मुरैना को सत्र 2016-17 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (आ.पा, अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीति विज्ञान, अतिरिक्त विषय- अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृत, ज्योग्राफी), बी.कॉम. (प्लेन/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन), बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.एस-सी. (आ.पा., मैथ, फिजीक्स, कैमिस्ट्री, अतिरिक्त विषय- बॉटनी, जुलॉजी, माइक्रोबायलॉजी, कम्प्यूटर साइंस), एम.ए. (समाजशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी), एम.कॉम., एम.एस-सी. (कम्प्यूटर साइंस, जुलॉजी, कैमिस्ट्री), पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

### निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. परिनियम 28(17) के अन्तर्गत स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।
2. प्रयोगशाला को पाठ्यक्रमानुसार सुसज्जित किया जाए।
3. शिक्षकों एवं कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाए।
4. महाविद्यालय नवीन भवन में शीघ्र संचालित करें।
5. सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जाए।


नोट:- समस्त कमियों को दूर करने एवं अनुपालन रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2016

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, टी.एस.एस. कॉलेज, मुरैना।
1. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
3. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. परीक्षा नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
डायरेक्टर,  
महाविद्यालयीन विकास परिषद्